

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक-3206/12-1

E.Mail. dfoukashi-forest-uk@nic.in Tel.No- 01374-222444

कोटबंगला, दिनांक 02/06/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड  
मुनिकीरेती।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.092 हे० आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कर्षण हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक-2010/12-1 दिनांक 05.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.02.2023 द्वारा विषयगत प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या आपके कार्यालय को प्रेषित की गयी थी, जिसमें आपके द्वारा कतिपय कमियां इंगित की गयी है।

उक्त कमियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र सं०-1086/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख० दिनांक 20.05.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो कि निम्नवत् है:-

क्र. सं.	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.184 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यमोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इस वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छ माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.184 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 283920.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, व विषयगत मार्ग हेतु ली गई 1.092 हे० वन भूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 2.814 हे० हेतु चयनित स्थल ग्राम पाव तहसील-डुण्डा खसरा संख्या-756 रकवा 2.184 हे० सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमल दरामद कर दिया गया है (संलग्नक-1)। इस शर्त के अनुपालन में शासनादेश संख्या-1415/X-3-2111(114)/2015 दिनांक 22.10.2021 के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया गया है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र सं०-1154/1जी-विविध(उत्तरकाशी) दिनांक 09.11.2021 के क्रम में उक्त मोटर मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल सोयम वन भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं जिसकी कोई भी प्रति अधिकारिक तौर पर प्रयोक्ता एजेन्सी तथा इस वन प्रभाग को प्राप्त नहीं हुई है (संलग्नक-2)।
2	प्रयोक्ता अनिकारण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों का समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु नोडल अधिकारी द्वारा मांग नहीं की गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वि० की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है (संलग्नक-3) तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० के संशोधित दरों के अनुसार जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि रू० 4,89,052.20 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में ऑनलाईन कर दिया गया है (संलग्नक-4)।

<p>प्रयोक्ता अभिकरण मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीसन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन०पी०वी० के आंकलन धनराशि के प्रमाण पत्र में हरियाली का घनत्व टंकण त्रुटि के कारण 0.20 अंकित हुआ है। जबकि प्रस्ताव में आनलाइन परिवेश पोर्टल में हरियाली का घनत्व 0.40 अंकित है एवं इसी आधार पर एन०पी०वी० आंकलन कर धनराशि प्रयोक्ता विभाग से जमा करवाई गई है। उक्त हरियाली घनत्व के प्रमाण पत्र में घनत्व को संशोधित कर 0.40 अंकित कर दिया गया है (संलग्नक-5)। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशियों की प्रति संलग्न है (संलग्नक-6)।</p>
<p>5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-7)।</p>
<p>6 प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण-पत्र संलग्न है (संलग्नक-8)।</p>
<p>7 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।</p>
<p>8 उपरोक्ता शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।</p>	<p>इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन जायेगा।</p>

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

भवदीय  
(पुनीत तोमर)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

संख्या-3206/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को अपने स्टोर से ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

पं० सं० 1216 / अधि० अ० / पी०एम०जी०एस०वाई० / वन प्र० - फि० 9  
प्रतिलिपि सहित अधि० अ०, द्वितीय, पी०एम०जी०एस० उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।  
कठि० वि० अ० (अ०) को 20 न्यायालय के निर्देश है कि उक्त अनुपालन आख्या को अपने स्टोर से ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०  
उत्तरकाशी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड,  
उत्तरकाशी



दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०-01374.223804

Email Id :- [eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com](mailto:eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com)

पत्रांक 1086 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0  
सेवा में,

दिनांक 20/05/2023

प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तरकाशी वन प्रभाग  
कोटबंगला उत्तरकाशी।

**विषय:-** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी सिंगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.092 हे0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** आपका पत्र संख्या- 2982/12-1, कोटबंगला/दिनांक 04.05.2023 व अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या-200/X-4-15/1(114)/2015, तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक 2807/1जी0-एफ0पी0/यू0के0/रोड/9574/2015 दिनांक 04.04.2015


**महोदय,**

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव पर लगायी गयी बिन्दु संख्या- 3, 5, 6, 7 की आपत्तियों के अनुपालन में बच्चनबद्धता प्रमाणों की मूल प्रति संलग्न कर दी गयी है एवं उक्त मोटर मार्ग पर 1.092 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 8 तक की सभी शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जा चुका है।

क्रसं	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.184 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.184 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु0 283920.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, व विषयगत मार्ग हेतु ली गई 1.092 हे0 वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 2.814 हे0 हेतु चयनित स्थल ग्राम पाव तहसील-डुण्डा खसरा संख्या-756 रकवा 2.184 हे0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। (संलग्नक-1) इस शर्त के अनुपालन में शासनादेश संख्या-1415/X-3-2111 (114)/2015 दिनांक 22.10.2021 के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित/ हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया गया है, अपर प्रमुख संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र संख्या- 1154/1जी-विविध (उत्तरकाशी), दिनांक 09.11.2021 के क्रम में उक्त मोटर की वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित /हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसकी कोई भी प्रति अधिकारिक तौर पर इस खण्ड को प्राप्त नहीं हुयी है (संलग्नक-2)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु नोडल अधिकारी द्वारा मांग नहीं की गयी है।

3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि 489052.20 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में ऑन-लाइन कर दिया गया है (संलग्न-3)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीसन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0 बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 922740.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में पूर्व में जमा कर दी गयी थी (संलग्नक-4)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-5)।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-6)।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-7)।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पत्र वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

  
अधिशामी अभियन्ता  
20/5/23


पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0, उत्तरकाशी

पत्रांक / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0 / तदिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
- 3 मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0 आई0टी0 पार्क के सामने सहस्र धारा रोड, देहरादून।
- 4 अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, वृत्त मसूरी।



  
अधिशामी अभियन्ता  
20/5/23

पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0, उत्तरकाशी

**:: आदेश ::**

अधिकासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी के पत्रांक संख्या 1085/पी.एम.जी.एस.वाई./सि.ख.उ.का./17सी (पाव मो.मा.) दिनांक 11.06.2015 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी सिंगोट मार्ग से पाव मोटर मार्ग (लम्बाई 4.30 किमी.) के निर्माण हेतु 2.184 है० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, डुण्डा ने अपने पत्र संख्या मेमो/वै० सहा०-क्षति०पू०वृक्षा०/2015-16 दिनांक 24 जून, 2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 200/10.04.2015/1(114)/2015 दिनांक 02 मई, 2015 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग के 1.184 है० वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास को प्रत्यावर्तन करने के बदले 2.184 है० सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण किये जाने हेतु ग्राम पाव की वर्तमान नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली बर्ष 1421 से 1426 तक के खाता संख्या 30 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व के वर्ग 9 (3)ड. की भूमि खसरा नं० 756 मध्ये 2.184 है० भूमि का प्रस्ताव हस्तान्तरण की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, डुण्डा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम पाव की वर्तमान नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली बर्ष 1421 से 1426 तक के खाता संख्या 30 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व के वर्ग 9 (3)ड. की भूमि खसरा नं० 756 मध्ये 2.184 है० भूमि एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 200/10.04.2015/1(114)/2015-दिनांक 02 मई, 2015 के बिन्दु संख्या-1 के अनुसार उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, के पक्ष में हस्तान्तरित व नामान्तरित की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

अ० अ०

० एम० जी० एस० वाई०

व्यक्तिगत कार्यालय

संख्या 1603

दिनांक 21/08/15

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

( इन्दुधर बौड़ाई )

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 1603/ग्यारह-15 (2014-15) दिनांक 21 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवरयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
- 2- तहसीलदार, डुण्डा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त भूमि का नियमानुसार म्यूटेशन की कार्यवाही करवाते हुये तदनुसार इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
- 3- अधिकासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
- 5- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

जिलाधिकारी

उत्तरकाशी

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficecrdln@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 1154 / 1जी-विपि (उत्तराखण्ड) : देहरादून दिनांक: 11/10/2021 अक्टूबर, 2021

सोमार्थे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-पश्चिम क्षेत्र),  
25 शुभाष रोड, देहरादून।

विषय-वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु नामांतरित/हस्तांतरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के एवज में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित सिविल सोयम भूमि को 'संरक्षित वन' घोषित किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति में शर्त अधिरोपित की गयी है। इस परिपेक्ष में अवगत कराना है कि जनपद उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्न वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित सिविल सोयम भूमि को 'संरक्षित वन' घोषित करने हेतु सचिव (प्रभारी), वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकरणों के सम्मुख लिखे शासनादेशों द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है, जिनकी प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं.	प्रस्ताव का नाम	अधिसूचना की संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4
1	FP/UK/ROAD/8571/2014	Construction Of Chinyalisour Jogath motor road to Bagori Motor Road Under PMGSY.	1409/X-3-21/1(96)/2015 दिनांक 22.10.2021
2	FP/UK/ROAD/26775/2017	Tambakhani suit upachar under Varunaprawat	1414/X-3-21/1(127)/2017 दिनांक 22.10.2021
3	FP/UK/ROAD/20224/2016	Construction of Margaw Jaspur Chimiari to Ulan Motor Road.	1410/X-3-21/1(03)/2017 दिनांक 22.10.2021
4	FP/UK/ROAD/9574/2015	Nakori singot motor road to Paaw motor road under PMGSY	1425/X-3-21/1(114)/2015 दिनांक 22.10.2021
5	FP/UK/ROAD/15647/2015	Mallasari silla motor road under PMGSY	1396/X-3-21/1(146)/2016, दिनांक 14.10.2021
6	FP/UK/ROAD/29432/2017	Jamak byana to Sayaba motor road under PMGSY	1408/X-3-21/1(146)/2017, दिनांक 25.10.2021

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,  
(डॉ०/कपिल जोशी)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)

संख्या 1154 / 1जी-विपि (देहरादून) तद्विनाशित।  
प्रतिलिपि-सचिव (प्रभारी), वन अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ०/कपिल जोशी)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)

o/c

o/c

## AGENCY COPY

## NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

29-09-2022

Agency Name.	PMGSY ID UTTARKASHI
Application No.	6195740469
State Code.	UK
Address.	ANUSHANDHAN COLONY JOSHIYARA UTTARKASHI Uttarkashi
Amount(in Rs)	489052.2/-

Amount In Words Four Lakh Eighty-Nine Thousand and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6195740469
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

## NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 29-09-2022

Agency Name.	PMGSY ID UTTARKASHI
Application No.	6195740469
State Code.	UK
Address:	ANUSHANDHAN COLONY JOSHIYARA UTTARKASHI Uttarkashi
Amount(In Rs)	489052.2/-

Amount In Words Four Lakh Eighty Nine Thousand and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6195740469
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through mail: [ubicampa@unionbankofindia.com](mailto:ubicampa@unionbankofindia.com)



PARIVESH  
घरगत

Pre-Active and Responsive Institution by Legislative, Ministry and Environmental Supremacy Hub

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Government of India



My Account • My Proposal • Environment Expense • My Bill Collection • My Proposal Form • My Expense • My Bill Collection • My Bill • Help

Online payment history made by User Agency under CAMPA

help

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/ Amount Paid (in Rs.)				Payment Status	Payment Detail	Demand Letter		
					CA	Safety Zone	Other Charges 1	Other Charges 2				Acid CA	CAT
1				22-05-2022	CA 225000.00	Safety Zone 0.00	Other Charges 1 0.00	Other Charges 2 0.00	Total 225000.00	A-Ad CA CAT A-Ad PA Other Charges	Paid	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On 22-05-2022</p> <p>Bank Name State Bank of India</p> <p>Mode of Payment Cash</p> <p>Challan Generated On 22-05-2022</p> <p>Transaction Date 22-05-2022</p>	
2				22-05-2022	CA 225000.00	Safety Zone 0.00	Other Charges 1 0.00	Other Charges 2 0.00	Total 225000.00	A-Ad CA CAT A-Ad PA Other Charges	Paid	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On 22-05-2022</p> <p>Bank Name State Bank of India</p> <p>Mode of Payment Cash</p> <p>Challan Generated On 22-05-2022</p> <p>Transaction Date 22-05-2022</p>	
3				22-05-2022	CA 225000.00	Safety Zone 0.00	Other Charges 1 0.00	Other Charges 2 0.00	Total 225000.00	A-Ad CA CAT Acid PA Strip plantation	Paid	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On 22-05-2022</p> <p>Bank Name State Bank of India</p> <p>Mode of Payment Cash</p> <p>Challan Generated On 22-05-2022</p> <p>Transaction Date 22-05-2022</p>	
4				22-05-2022	CA 225000.00	Safety Zone 0.00	Other Charges 1 0.00	Other Charges 2 0.00	Total 225000.00	A-Ad CA CAT Acid PA Other Charges	Paid	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On 22-05-2022</p> <p>Bank Name State Bank of India</p> <p>Mode of Payment Cash</p> <p>Challan Generated On 22-05-2022</p> <p>Transaction Date 22-05-2022</p>	
5				22-05-2022	CA 225000.00	Safety Zone 0.00	Other Charges 1 0.00	Other Charges 2 0.00	Total 225000.00	A-Ad CA CAT Acid PA Strip plantation	Paid	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On 22-05-2022</p> <p>Bank Name State Bank of India</p> <p>Mode of Payment Cash</p> <p>Challan Generated On 22-05-2022</p> <p>Transaction Date 22-05-2022</p>	



परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.30 किमी०) हेतु सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल सिविल सोयम भूमि 1.092 है०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में गा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

Kuldeep.  
JG

~~4/11~~  
सहायक अभियन्ता  
पी० एम० जी० एस० वाई०  
सि० ख० (उत्तरकाशी)

HQ Loh  
ह०/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
अधिसासी अभियन्ता  
पी० एम० जी० एस० वाई०  
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

जन्म का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुशी-सिंगोट मोटर मार्ग से पाय  
मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.30 किमी०) हेतु सिविल सोयम भूमि  
हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल सिविल सोयम भूमि 1092 है०)

एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली  
के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के  
अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व 0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० १४५००० ✓
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.092
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि १२२,७५० = ००

*Handwritten signature and date*



*Handwritten signature*  
प्रभारतीय वन विभाग  
उत्तर प्रदेश

*Handwritten signature: Kuldeep J.E.*

*Handwritten signature*  
अधिसूची अधिनस्ता  
सिवाई अन्य

From System Administrator of Online Submission and Monitoring Clearances Proposal(OSMFCP) portal

shiv12raj@gmail.com  
 monitoring-fc@nic.in  
 monitoring-fc@nic.in

Tue, May 24, 2016 at 4:33 PM

This is to acknowledge that the details of the funds submitted by User Agency against the proposal given below, has been verified by Nodal Officer and found to be incorrect. After making corrections, kindly resubmit it.

**Proposal Detail**

1. Proposal No. : FP/UK/ROAD/9574/2015
2. Proposal Name : Nakurl Singot Motor Road To Paab Motor Road
3. Category of the Proposal : Road
4. Date of In-principle : 23/01/2015
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name : PMGSY ID UTTARKASHI  
 Mobile No. : 8958862676  
 Email ID : shiv12rajr@gmail.com  
 State : Uttarakhand  
 District : Uttarkashi  
 Pincode : 249193

**Funds Demand Details**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Compensatory Afforestation            | : Rs. 283920/-         |
| 2. Additional Compensatory Afforestation | : Rs. 0/-              |
| 3. Penal Compensatory Afforestation      | : Rs. 0/-              |
| 4. Catchment Area Treatment              | : Rs. 0/-              |
| 5. Safety Zone                           | : Rs. 0/-              |
| 6. Additional Charges for protected area | : Rs. 0/-              |
| 7. Net Present Value (NPV)               | : Rs. 922740/-         |
| 8. Other Charges                         | : Rs. 0/-              |
| 9. Other Charges1                        | : Rs. 0/-              |
| 10. Other Charges2                       | : Rs. 0/-              |
| 11. Other Charges3                       | : Rs. 0/-              |
| <b>Total Amount</b>                      | <b>: Rs. 1206660/-</b> |

संख्या - 5

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी-सिगोट मोटर मार्ग से पाव  
मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.30 किमी०) हेतु सिविल सोयम भूमि  
हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल सिविल सोयम भूमि 1.092 है०)

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा  
दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Kuldeep.  
JE

सि  
सहायक अभियन्ता  
पी० एम० जी० एस० वाई०  
(उत्तरकाशी)

हो  
ह०/-  
(प्रयोक्ता एजेन्सी)  
अधिसासी अभियन्ता  
पी० एम० जी० एस० वाई०  
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुशी-सिगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.30 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम- पाव  
तहसील- डुण्डा, जिला- उत्तरकाशी


अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नाकुशी-सिगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.30 किमी०) के निर्माण वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वनभूमि, 1.092 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.092 हे० वन भूमि का पी.एम.जी.एस.वाई सि०ख० उत्तरकाशी विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पाव द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्रामसभा / ग्रामपंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पाव के ग्राम वासियों को उक्त वनभूमि पी.एम.जी.एस.वाई सि०ख० उत्तरकाशी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० /  20.01.15  
जिलाधिकारी  
ग्राम पंचायत पाव  
विकास खण्ड 585


ह० / -  
ग्रामप्रधान  



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।


प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.30 किमी०) हेतु सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल सिविल सोयम भूमि 1.092 है०)

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग के प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०,  
उत्तरकाशी

  
सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०,  
उत्तरकाशी

  
अधिसाक्षी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०,  
उत्तरकाशी